न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 246 / 2023 अपील (GCMS 2023/253)
पंजीयन दिनांक– 27 / 10 / 2023
निर्णय दिनांक– 30 / 10 / 2025

1. श्री गिरधारीसिंह पिता फतहसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती मुर्धर कंवर पत्नि प्रहलादसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती रेखा कंवर पत्नि बलवंतसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार, बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री संजय सेन	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री मनोहरसिंह राव	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 08 / 2023 अपील निर्णय दिनांक 03.08.2023

निर्णय

दिनांक 30 / 10 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 08 / 2023 निर्णय

दिनांक 03.08.2023 के विरूद्ध दिनांक 27.10.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतका श्रीमती रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत की मृत्यु दिनांक 08.10.2025 को हो गई थी। मृतका रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत के जाईन्दा औलाद नहीं होने से प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत को गोद रखा जाकर एक अनरजिस्टर्ड वसीयत इकरारनामा प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत के पक्ष में किया जाकर मृतका रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जिसके आधार पर मृतका रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत के नाम दर्ज ग्राम सहाड़ा में अपने निहित हिस्से की भूमि प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत के नाम दर्ज कर दी जावें, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2023 निर्णय दिनांक 03.08.2023 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.08.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"अतः पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मौजा ग्राम सहाड़ा में निहित हिस्से की भूमि मृतका श्रीमती रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय श्री प्रहलादसिंह*

पिता मनोहरसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम पर करने हेतु पटवारी हल्का, ईटावा को लिखा जावें। आदेश लगान वसूली आदि के लिए किया जा रहा है, अगर किसी को भी एतराज हो तो सक्षम न्यायालय में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। यह कि कृषि भूमि मौजा सहाड़ा, पटवार हल्का ईटावा में निहित हिस्से की भूमि मृतका श्रीमती रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय श्री प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, निवासी सहाड़ा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम पर की जावें।"

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राव उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.10.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक कुटरचित फर्जी वसीयत पेश की, जो रजिस्टर्ड नही होकर 10/– रूपये के स्टाम्प पर हस्तलिखित है, जिसकी इबारत से ही प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त वसीयत इकरारनामा/दस्तावेज वसीयत नही होकर बक्षीश है तथा कानूनन बक्षीश नामे को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा उक्त वसीयत इकरारनामे में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम में कांट–छांट कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुतशुदा वसीयत इकरारनामें को वसीयत में वर्णित गवाहों से बायान करवाकर पुख्ता साक्ष्य से साबित करवाना था, किन्तु वसीयत

के मौजुदा गवाह एवं स्टाम्प विक्रेता सभी की मृत्यु हो जाने से उनके बायान लेखबद्ध नही करवाया जाकर वसीयत प्रमाणित नहीं कराई गई। साथ ही वसीयत दिनांक 12.02.1999 में जो स्टाम्प क्रय किया गया है व भी वसीयतकर्ता रूकमण कंवर के द्वारा क्रय नहीं किया जाकर किसी रूपसिंह पिता लादुसिंह राजपूत द्वारा वास्ते इकरार क्रय किया गया है। मौजुदा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 25.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेस्पोडेंट या मृतक के विधिक वारिसान को सुने बिना आनन–फानन में निर्णय पारित किया गया है। मृतक रूकमण कंवर द्वारा दिनांक 20.04.2025 को अंतिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर रखी थी तथा अपीलांट द्वारा पूर्व में ही तहसीलदार, बेगूं के यहां दिनांक 15.04.2021 को वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के यहां वाद विचाराधीन है। उपरोक्त सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज करते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त नामांतरकरण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.07.2023 को इस आधार पर पेश किया कि स्व. प्रतापसिंह एवं स्व. रूकमण कंवर पत्नि स्व. प्रतापसिंह के गोद पुत्र है तथा श्रीमती रूकमण कंवर द्वारा गोदपुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 12.02.1999 को अंतिम वसीयत इकरारनामा निष्पादित किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 का गोदपुत्र होने व वसीयत इकरारनामें के आधार पर गांव के स्वतंत्र गवाह व मौतबीरान के बयान लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

03.08.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण का निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय की अपील इस आधार पर की गई कि स्व. रूकमण कंवर द्वारा अपीलांट के पक्ष में एक वसीयत इकरारनामा दिनांक 20.04.2015 को निष्पादित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 को भी अपीलांट के अपील पेश करने के बाद उक्त वसीयत इकरारनामें की जानकारी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को दिनांक 02.10.1976 से स्व. प्रतापसिंह एवं रूकमण कंवर द्वारा निः संतान होने के कारण गोद रखा गया था, जो समाज के बडवाजी श्री महिपालसिंह पिता स्व. लालसिंह जी की बडवाजी की पोथी में अंकित है एवं अपीलांट के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य गांव के मौतबीरान की उपस्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 1 के गोद जाने का एक इकरारनामा दिनांक 16.05.1994 को भी किया गया था तथा स्व. प्रतापसिंह एवं रूकमण कंवर के देहावसान के बाद उनकी अंतिम क्रिया एवं पगडी दस्तुर अपीलांट की उपस्थिति में किया गया था। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03. 08.2023 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं का निर्णय यथावत रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवाल ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 03.08.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ

प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां प्रकरण से सुसंगत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अब हम अपीलांट द्वारा दिये गये 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णित किया है कि प्रार्थी को मृतका रूकमण कंवर व उसके पति प्रतापसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में ही गोद लिया गया था तथा बतौर पुत्र उनके साथ ही निवास कर रहा था एवं रूकमण कंवर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.04.2015 को एक वसीयत नामा भी निष्पादित कर रखा है। मृतका रूकमण कंवर की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि बाबत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थी को अपील पेश किये जाने की अनुमति प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमारे द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन व अपील मेमों के तथ्यों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.08.2023 से मौजा सहाड़ा, पटवार हल्का, ईटावा, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 54 के आराजी संख्या 306 से 312 कुल किता 7 रकबा 3.2610 हैक्टेयर की 1/2 भूमि व खाता संख्या 100 के खसरा संख्या 380/1 व 381/1 के संपूर्ण हिस्से का रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत के आवेदन पर मृतका श्रीमती रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपूत के बजाय रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत के नाम गोद पुत्र के आधार पर

नामांतरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अपीलांट का यह कथन है कि प्रार्थी को मृतका रूकमण कंवर व उसके पति प्रतापसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में ही गोद लिया गया था तथा बतौर पुत्र उनके साथ ही निवास कर रहा था एवं रूकमण कंवर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.04.2015 को एक वसीयत नामा भी निष्पादित कर रखा है। मृतका रूकमण कंवर की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि बाबत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थी को अपील पेश किये जाने की अनुमति प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर रिपोर्ट पटवारी, ईटावा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि श्रीमती रूकमण कंवर पत्नि प्रतापसिंह, राजपूत के नाज दर्ज भूमि पर कब्जा वर्तमान में श्री प्रहलादसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत का है। अतः उक्त पटवारी, ईटावा की रिपोर्ट एवं रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 03.08.2023 से पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा यह सिद्ध नही किया गया कि उक्त विवादित भूमि पर उसका किस प्रकार कब्जा है एवं न ही इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किये है, इसके अतिरिक्त अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.04.2015 को निष्पादित वसीयत बाबत भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते एवं तद्नुसार अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है, फिर भी न्यायाहित में

अपील में अपीलांट द्वारा वर्णित मुख्य उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांट का प्रकरण में मूल कथन/मुख्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक कुटरचित फर्जी वसीयत पेश की, जो रजिस्टर्ड नही होकर 10/– रूपये के स्टाम्प पर हस्तलिखित है, तथा उक्त वसीयत इकरारनामें में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम में कांट–छांट कर रखी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को स्व. प्रतापसिंह एवं रूकमण कंवर द्वारा निः संतान होने के कारण गोद रखा गया था तथा रिपोर्ट पटवारी अनुसार स्व. प्रतापसिंह एवं रूकमण कंवर के देहावसान के बाद समस्त सामाजिक कार्यक्रम रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा किया गया। उक्त गोदपुत्र होने व वसीयत इकरारनामें के आधार पर गांव के स्वतंत्र गवाह व मौतबीरान के बयान लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2023 से रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण का निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलांट का उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट का एक अन्य उज्र यह है कि मृतक रूकमण कंवर द्वारा दिनांक 20.04.2025 को अंतिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर रखी थी तथा अपीलांट द्वारा पूर्व में ही तहसीलदार, बेगूं के यहां दिनांक 15.04.2021 को वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.04.2015 को की गई वसीयत तथा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दस्तावेज तथा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलांट को उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त प्रावधित है कि नामांतरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलांट को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी–78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं,

जिला चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 03.08.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार, पारसोली, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ को मय अभिलेख भेजी जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर